झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
प्राचार्य का कार्यालय राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा
अंशकालीन व्याख्याताओं के चयन एवं कार्यानुमति हेतु सूचना

राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा में आवश्यकतानुसार निम्नलिखित विषयों / शाखाओं में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निम्नलिखित शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना कारण बताये हटाया जा सकता है।
2. सरकारी प्रावधान के अन्तर्गत आरक्षण नियम लागु रहेगा। इच्छुक उम्मीवार अपने आवेदन के साथ सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी स्वयं द्वारा अभिप्रामाणित छायाप्रति एवं सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ लेनेवाले उम्मीदवार सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त जाति–प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 20.04.2023 को प्राचार्य का कार्यालय राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगा में पूर्वाहन 11.00 बजे उपस्थित होकर अन्तर्वीक्षा में भाग ले सकते है। अलग से कोई साक्षात्कार पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। ऐसे उम्मीदवार जो किसी सरकारी संस्था / उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें अपने सक्षम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सकें कि व्याख्यान देने के कार्य से संबंधित अधिकारी का स्वंय का कार्य बाधित नहीं होता हो। उम्मीदवार अपना आवेदन साक्षात्कार से पूर्व जमा करेंगें। साथ ही https://forms.gle/gUdmMpT2vbgn2pDe8 दिये गये google form के द्वारा अपनी Details भरना दिनांक 18.04.2023 तक सुनिश्चित करेंगे।
3. (क) विषय / शाखा एवं वांछनीय योग्यता का नामः–

Sl.No.	Subject/Branch	Qualification
1-	Physics/Chemistry/Maths/English	M.Sc degree in related Subject with Minimum 60% Marks
2-	Civil Engg/ Mechanical Engg/ Electrical Engg./ Electronics Engg. /Computer Engineering.	BE/B.Tech lEcaf/kr 'kk|kk esa with Minimum 60% Marks, M.Tech. , Ph.D , GATE Qualified dks ÁkFkfedrk nh tk,xh A

AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान / महाविद्यालय से संबंधित अभियंत्रण / तकनीकी शाखा में योग्यता उपरोक्त के आलोक में होना अनिवार्य है। सिमडेगा जिले का निवासी / महिला / अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी और गैर तकनीकी विषय में स्नातकोत्तर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ख) कार्य का दायित्व–कार्यानुमति दिए जाने वाले अंशकालीन व्याख्याता के द्वारा आन्तरिक परीक्षा का प्रश्न पत्र चयन एवं उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन एवं संस्थान द्वारा पठन–पाठन से संबंधित सौंपे गये कार्यो के दायित्व का भी निर्वाह करना होगा।

शर्तें:–

1. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए मार्ग –व्यय देय नहीं होगा।
2. रू0 400/–(चार सौ) मात्र प्रति व्याख्यान अधिकतम 24,000/–(चौबीस हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी कार्यानुमति के आधार पर किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति के दावेदार नहीं होंगे।
4. बिना अनुमति के लगातार दस दिनों तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कार्यानुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. अनुभवी एवं सेवानिवृत उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जागेगी।
6. असन्तोषप्रद सेवा या अन्य अवांछनीय कारणों से किसी भी समय बगैर कारण बताये कार्यानुमति समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
7. पूर्व में कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं को भी पुनः अन्तर्वीक्षा में शामिल होना अनिवार्य नही है, यद्यपि उन्हे अपने दस्तावेजों को पुनः प्रमाणित करना होगा।
8. उपस्थिति बायोमैट्रीक्स के आधार पर दर्ज की जायेगी।
9. आरक्षण राज्य सरकार की आरक्षण नीति के आधार पर मिलेगी।
10. बायोडाटा में प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्राप्तांक का प्रतिशत अंकित करना अनिवार्य है।
11. चयनोपरान्त उन्हें नियमानुसार कार्यानुमति निर्गत किया जायेगा।
12. अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
13. अभ्यार्थी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि **AICTE** पोर्टल मे उनका नाम किसी और संस्थान से जुडा ना हो ।

प्रभारी प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, सिमडेगगा मो0–8800978609

PR.NO.294350 Higher Education Directorate(23-24):D